उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18–ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज–211 001

उ0शि0आयोग / सी–759 / 689 / 2020–21 दिनांक : 23 अक्टूबर 2020

प्रेस–विज्ञप्ति

विज्ञापन सं0–47 में विज्ञापित सहायक आचार्य हिन्दी विषय **166** सामान्य–104, (27 महिला) अन्य पिछड़ा वर्ग 37 (10 महिला), अनुसूचित जाति 25 (04 महिला) पदों के प्रति आयोग की बैठक सं0–1082 दिनांक 13.01.2020 को अन्तिम चयन परिणाम घोषित किया गया था। जिसके **क्रमांक–131 पर मुख्य सूची में चयनित श्री दीपेश यादव, अनुक्रमांक–012295 को (अन्य पिछड़ा वर्ग)** के अन्तर्गत चयनित किया गया था। श्री दीपेश कुमार यादव द्वारा साक्षात्कार के समय स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण–प्रस्तुत करने के अनुरोध पर उन्हें औपबन्धिक रूप से साक्षात्कार हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी। दिनांक 25.08.2020 को श्री दीपेश कुमार यादव द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर उत्तम शैक्षिक अर्हता **(स्नातक में द्वितीय श्रेणी)** पूर्ण न करने के कारण वे सहायक आचार्य पद की न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं। अतः श्री दीपेश कुमार यादव का चयन निरस्त करते हुए सहायक आचार्य हिन्दी विषय का आयोग की बैठक सं0–1108 दिनांक 23.10.2020 द्वारा चयन परिणाम संशोधित किया गया।

विज्ञापन सं0–47 में विज्ञापित सहायक आचार्य अर्थशास्त्र विषय में विज्ञापित 33 सामान्य–23, (09 महिला) अन्य पिछड़ा वर्ग 07 अनुसूचित जाति 03 के पदों के प्रति महिला महाविद्यालयों की रिक्त के सापेक्ष अतिरिक्त सूची में कोई भी महिला अभ्यर्थी चयनित न होने के कारण अतिरिक्त सूची में महिला अभ्यर्थियों की रिक्ति के सापेक्ष महिला अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं0–6787 / 2020 योजित की गयी मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 के अनुपालन में महिला अभ्यर्थियों को महिला महाविद्यालयों के सापेक्ष अतिरिक्त सूची में सम्मिलित करते हुए आयोग की बैठक संख्या–1108 दिनांक 23.10.2020 द्वारा प्रतीक्षा सूची में चयन परिणाम संशोधित किया गया।

विज्ञापन सं0–47 में विज्ञापित सहायक आचार्य राजनीतिशास्त्र विषय में विज्ञापित 121 पदों सामान्य–92, (26 महिला) अन्य पिछड़ा वर्ग 18 (04 महिला) अनुसूचित जाति 11 (03 महिला) के प्रति महिला महाविद्यालयों की रिक्त के सापेक्ष अतिरिक्त नामों की सूची में कोई भी महिला अभ्यर्थी चयनित न होने के कारण अतिरिक्त सूची में महिला अभ्यर्थियों की रिक्ति के सापेक्ष महिला अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं0–8581 / 2020 योजित की गयी मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 के अनुपालन में महिला अभ्यर्थियों को महिला महाविद्यालयों के सापेक्ष अतिरिक्त सूची में सम्मिलित करते हुए आयोग की बैठक संख्या–1108 दिनांक 23.10.2020 द्वारा प्रतीक्षा सूची में चयन परिणाम संशोधित किया गया।

आयोग द्वारा संशोधित एवं अनुमोदित उक्त चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट www.uphesc.org एवं पोर्टल www.uphesconline.org पर उपलब्ध है।

सचिव
उ0शि0 आयोग